रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275888
CG-DL-E-01092026-275888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4613] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948
No. 4613] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4800(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में,पश्चिमी बंगाल राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

क्र.सं.	अभिहित सदस्य	पदनाम
(1)	डॉ. मानस कुमार मुखोपाध्याय फ्लैट 202, प्रबासी, सीडी-9, एक्शन एरिया- 1सी, न्यूटाउन, कोलकाता- 700156 , पश्चिमी बंगाल, भारत।	अध्यक्ष;
(2)	श्री पार्थ प्रतिम दत्त 2/1डी/1 घोर बीबी लेन, कोलकाता-700054 ।	सदस्य; और
(3)	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।	सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय इस अधिसूचना के पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी निर्णय बैठक में लिए जाएंगे और सर्वसम्मति से होंगे:

परंतु यदि कोई निर्णय बहुमत से लिया जाता है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों का विवरण स्पष्ट रूप से कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी।

6. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन से पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), पश्चिमी बंगाल का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:

क्र.सं	अभिहित सदस्य	पदनाम
(1)	डॉ. अपूर्बा रतन घोष पर्यावरण विज्ञान विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान- 713104, पश्चिमी बंगाल।	अध्यक्ष;
(2)	प्रो. (डॉ.) बिस्वजीत घोष भूविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 35, बल्लीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता- 700019	सदस्य;
(3)	डॉ. रामकृष्ण मैती क्वार्टर सं.बी1, तरुण बनर्जी आवासन, विद्यासागर विश्वविद्यालय परिसर, मिदनापुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिमी बंगाल - 721102	सदस्य;
(4)	डॉ. देबरती मित्रा रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 92 ए. पी. सी. रोड, कोलकाता - 700009	सदस्य;
(5)	प्रो. (डॉ.) पंकज कुमार रॉय जल संसाधन इंजीनियरिंग स्कूल, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता-700032	सदस्य;
(6)	डॉ. गौतम कुमार बसु 167, जीएलटी रोड, तुलसी अपार्टमेंट, फ्लैट- 2एऔर 2बी, बरानगर, पोस्ट ऑफिस आई.एस.आई, कोलकाता- 700108	सदस्य;
(7)	डॉ. संघमित्रा कुंडू "राधा लॉज", 64/1, श्रीमा सरणी, बाबूपाड़ा, डाकघर- सिलीगुड़ी टाउन, जिला- दार्जिलिंग, पिन - 734004, पश्चिमी बंगाल।	सदस्य; और
(8)	सदस्य सचिव, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य-सचिव।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी, और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि आम सहमति नहीं हो पाती है, तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए,--

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,--

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावकों से भी जुड़े हैं ; और

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे, जिसका निर्णय प्राधिकरण द्वारा किया जाना है या समिति द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान अंकन किया जाना है; और

(ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे।

11. पश्चिमी बंगाल सरकार प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के तहत उनके कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र की सहायता प्रदान करेगा।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बैठक फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते पश्चिमी बंगाल सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे।

13. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को, उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे सिद्ध आरोपों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जो उक्त प्राधिकरण और समिति के कामकाज को न्यायपूर्ण, कुशल और निष्पक्ष तरीके से संचालन को प्रभावित करते हैं,। इन आरोपों में यथासंशोधित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने या अस्वीकृति करने संबंधी प्रस्तावों के निस्तारण करने में विलंब भी शामिल हो सकता है ।

[फा. सं. आईए3-13/2/2023-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4800(E).—).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for West Bengal (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:-

Sl. No.	Name and Address	Designation
(1)	Dr. Manas Kumar Mukhopadhyay Flat 202, Prabasee, CD-9, Action Area-1C, Newtown, Kolkata-700156, West Bengal, India.	Chairman;
(2)	Shri Partha Pratim Datta 2/1D/1 Ghore Bibi Lane, Kolkata-700054.	Member; and
(3)	Chief Environment Officer, Environment Department, Government of West Bengal.	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

   Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Ministry of Environment and Forest.

6. Further, Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), West Bengal comprising of the following Members, namely: -

Sl. No.	Name and Address	Designation
(1)	Dr. Apurba Ratan Ghosh Department of Environmental Science, University of Burdwan, Burdwan-713104, West Bengal.	Chairman;
(2)	Prof. (Dr.) Biswajit Ghosh Department of Geology, University of Calcutta, 35, Ballygunge Circular Road, Kolkatta-700019.	Member;
(3)	Dr. Ramakrishna Maiti Quarter No. B1, Tarun Banerjee Abasan, Vidyasagar University Campus, Midnapore, Paschim Medinipur District, West Bengal – 721102.	Member;
(4)	Dr. Debarati Mitra Department of Chemical Technology, University of Calcutta, 92 A. P. C. Road, Kolkata -700009.	Member;
(5)	Prof. (Dr.) Pankaj Kumar Roy School of Water Resources Engineering, Jadavpur University, Kolkata-700032.	Member;
(6)	Dr. Gautam Kumar Basu	Member;

	167, G.L.T. Road, Tulsi Apartment, Flat- 2A&2B, Baranagar, P.O. I.S.I, Kolkata-700108.	
(7)	Dr. Sanghamitra Kundu "Radha Lodge", 64/1, Sreema Sarani, Babupara, P.O.- Siliguri Town, District.-Darjeeling, Pin -734004, West Bengal.	Member; and
(8)	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.	Member Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility, and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee shall, -

(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The Government of West Bengal shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of West Bengal.

13. The Chairman or Members of the Authority and Committee are liable to be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Authority and Committee in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of Environmental Clearance beyond the timelines specified in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, as amended.

[F. No. IA3-13/2/2023-IA.III]

RAJAT AGARWA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.01 12:08:33 +05'30'